मध्यप्रदेश शासन

वार्षिक प्रतिवेदन

वर्ष 2024-2025

जीवो जीवस्य जीवनम्

MADHYA PRADESH STATE BIODIVERSITY BOARD

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

वन विभाग मध्यप्रदेश

कॉपी राईट म.प्र.जै.वि.बो. 2025

मुद्रण संख्या : 500

अस्वीकरण

इस पुस्तक के प्रकाशन में सभी सावधानियां बरती गई हैं यद्यपि कोई भी त्रुटि पाई जाती है जो आशयपूर्ण नहीं है।

प्रकाशन
सदस्य सचिव
मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड
भोपाल
ईमेल – mpsbb@mp.gov.in
वेबसाईट – mpforest.gov.in/mpsbb

अनुक्रमणिका

क्र.	विषय	पृष्ठ क्रमांक
1.	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन	1
2.	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्य	1–3
3.	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की संगठनात्मक संरचना	3
4.	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की बोर्ड बैठक	4
5.	मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की गतिविधियाँ	4
	5.1 शोध एवं दस्तावेजीकरण,	4–14
	5.2 शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण,	14–27
	5.3 अंत:स्थलीय एवं बाह्यस्थलीय संरक्षण,	27–30
	5.4 सुशासन,	30–31
	5.5 संवहनीय उपयोग एवं लाभों का समुचित बंटवारा,	31–37
	5.6 अन्य गतिविधियाँ	37–38
6.	वित्तीय प्रगति	39–46

1. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन

भारत सरकार द्वारा अधिसूचित जैवविविधता अधिनियम, 2002 के प्रावधानों के तहत राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड का गठन किया गया है। जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 63 की उप धारा (1) के अनुसार राज्य शासन द्वारा मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 दिनांक 17.12.2004 को अधिसूचित किये गये। इन नियमों के अंतर्गत बोर्ड के गठन संबंधी राज्य शासन की अधिसूचना 11 अप्रैल 2005 को जारी की गई।

बोर्ड की मुख्य भूमिका जैवविविधता का संरक्षण, उसके संघटकों का पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन सुनिश्चित करना है।

2. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के कार्य

मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 14 में मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के निम्नलिखित कार्य उल्लेखित हैः–

(एक) अधिनियम की धारा 23 के अधीन उपबंधित क्रियाकलापों को शासित करने के लिए प्रक्रिया तथा मार्गदर्शक सिद्वांत अधिकथित करना ;

(दो) राज्य सरकार को जैवविविधता के संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैविक स्त्रोतों और ज्ञान के उपयोग से उद्भूत लाभ के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित विषयों के संबंध में सलाह देना;

(तीन) राज्य सरकार के विभागों को तकनीकी सहायता तथा मार्गदर्शन उपलब्ध कराना;

(चार) भारतीय नागरिकों द्वारा किसी जैव संसाधन की वाणिज्यिक उपयोगिता या जैव सर्वेक्षण तथा जैव उपयोगिता के लिए अनुरोधों को अनुमोदन प्रदान करके या अन्यथा विनियमित करना;

(पांच) राज्य जैवविविधता कार्यनीति तथा कार्ययोजना का अद्यतनीकरण तथा कार्यान्वयन को सुकर बनाना;

(छः) अध्ययन करवाना तथा जांच और अनुसंधान प्रायोजित करना;

(सात) बोर्ड के कृत्यों के प्रभावी निष्पादन में तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने हेतु एक विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक न हो सलाहकार नियुक्त करनाः परन्तु यदि किसी सलाहकार को तीन वर्ष की कालावधि से परे नियुक्त किया जाना आवश्यक तथा समीचीन हो तो बोर्ड ऐसी नियुक्ति के लिए राज्य सरकार का पूर्व अनुमोदन मांगेगा ;

(आठ) जैवविविधता के संरक्षण उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग तथा जैव संसाधनों तथा ज्ञान से उद्भूत लाभों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित तकनीकी और सांख्यकीय आंकडें (डाटा), निर्देशिका (मैन्युअल), संहिताएं (कोड्स), या मार्गदर्शिका (गाइड लाइन्स) संग्रहित संकलित तथा प्रकाशित करना;

(नौ) जनसंपर्क साधन के माध्यम से जैव विविधता संरक्षण, उसके संघटकों के पोषणीय उपयोग और जैविक संसाधनों और ज्ञान के उपयोग से उद्‌भूत लाभों के उचित और साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित व्यापक कार्यक्रम आयोजित करना;

(दस) जैव विविधता संरक्षण और उसके संघटकों के पोषणीय उपयेाग के लिए कार्यक्रमों में लगे हुए या लगाये जाने वाले कार्मिको के लिए योजना और प्रशिक्षण आयोजित करना;

(ग्यारह) प्रभावी प्रबंधन, संवर्धन तथा पोषणीय उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए जैवविविधता संसाधनों तथा उससे संबंधित पारंम्परिक ज्ञान के लिए जैव विविधता रजिस्टर तथा इलेक्ट्रॉनिक डाटा बेस के माध्यम से, डाटा बेस तैयार करने तथा सूचना और प्रलेखीकरण प्रणाली बनाने हेतु कदम उठाना;

(बारह) अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिये स्थानीय निकायों/जैवविविधता प्रबंधन समितियों को लिखित में या समुचित मौखिक साधनों के माध्यम से निर्देश देना तथा संरक्षण, पोषणीय उपयोग तथा लाभों के साम्यापूर्ण प्रभाजन से संबंधित समस्त उपायों में उनकी अर्थपूर्ण सहभागिता को सुकर बनाना;

(तेरह) बोर्ड के कृत्यों तथा अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के कार्यान्वयन के बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देना;

(चौदह) समय–समय पर जैविक संसाधनों की फीस की अनुशंसा करना, उसे विहित करना, उपांतरित करना तथा संगृहित करना;

(पन्द्रह) ऐसे तरीके ढूंढना जिससे अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके, जिसमें जैविक संसाधन तथा उससे सहयुक्त ज्ञान पर बौद्धिक संपत्ति संबंधी अधिकार और ऐसी समुचित जानकारी की गोपनीयता बनाए रखे जाने की प्रणाली सम्मिलित है तथा उसमें पीपुल्स बायोडायवर्सिटी रजिस्टर में रिकार्ड की गई जानकारी का संरक्षण सुनिश्चित करना भी सम्मिलित है;

(सोलह) जैवविविधता प्रबंधन समितियों को विशिष्ट प्रयोजनों के लिए सहायता अनुदान तथा अनुदान स्वीकृत करना;

(सत्रह) अधिनियम के कार्यान्वयन के संबंध में किसी क्षेत्र के भौतिक निरीक्षण का जिम्मा लेना;

(अठारह) यह सुनिश्चित करना कि जैव विविधता तथा उस पर आश्रित जीविका योजना एवं प्रबंधन के समस्त सेक्टरों में तथा राज्य से लेकर स्थानीय योजना के सभी स्तरों पर एकीकृत हो जाए ताकि उनके संरक्षण तथा पोषणीय उपयोग के लिए प्रभावी रूप से योगदान देने के लिए ऐसे सेक्टरों और प्रशासकीय स्तरों को समर्थ बनाया जा सके;

(उन्नीस) बोर्ड का, उसको स्वयं की प्राप्तियों के साथ ही राज्य तथा केन्द्रीय सरकार से उसके अवमूल्यन को भी समाविष्ट करते हुए, वार्षिक बजट तैयार करना परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा आवंटन केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित उपबंधों के अनुसार प्रचालित किया जाएगा;

(बीस) बोर्ड को समस्त प्राक्कलनों को प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने की पूर्ण शक्तियॉ होंगीः वह, तथापि, ऐसी प्रशासनिक तथा तकनीकी स्वीकृति शक्तियों को जैसी कि आवश्यक समझी जाएं; बोर्ड से सदस्य सचिव को प्रत्यायोजित कर सके;

(इक्कीस) बोर्ड द्वारा कृत्यों के प्रभावकारी निर्वहन के लिए राज्य सरकार को पदों के सृजन के लिए सिफारिश करना तथा ऐसे पदों का सृजन करना; परन्तु ऐसा पद चाहे वह स्थायी/अस्थायी या किसी अन्य प्रकृति का हो, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा;

(बाईस) ऐसे अन्य कृत्यों का जैसे कि अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक हों या जैसे कि राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर विहित किए जाएं, पालन करना;

(तेईस) जंगम तथा स्थावर, दोनों ही सम्पत्ति को अर्जित, धारण तथा व्ययन करने और उसके लिए संविदा करने की शक्ति होगी;

3. बोर्ड की संगठनात्मक संरचना

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 11.04.2005 अनुसार मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड गठित किया गया है। बोर्ड में निम्नानुसार अध्यक्ष, पदेन सदस्यगण एवं अशासकीय सदस्यगण हैं :–

1	अध्यक्ष	मुख्य सचिव, म. प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल
2	पदेन सदस्य	कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, वल्लभ भवन, भोपाल
3	पदेन सदस्य	अपर मुख्य सचिव, वन विभाग, म.प्र. शासन, वल्लभ भवन, भोपाल
4	पदेन सदस्य	प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, मध्यप्रदेश, भोपाल
5	पदेन सदस्य	कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर
6	पदेन सदस्य	सदस्य सचिव, मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल
7	अशासकीय सदस्य	रिक्त
8	अशासकीय सदस्य	रिक्त
9	अशासकीय सदस्य	रिक्त
10	अशासकीय सदस्य	रिक्त
11	अशासकीय सदस्य	रिक्त

बोर्ड का कोई संभागीय/जिला/तहसील/विकासखंड कार्यालय नहीं है।

4. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 21वीं बोर्ड बैठक

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की 21वीं बोर्ड बैठक श्रीमती वीरा राणा, मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश शासन एवं अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की अध्यक्षता में दिनांक 07.08.2024 को मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन के प्रतिकक्ष, वल्लभ भवन, भोपाल में सम्पन्न हुई।

बैठक में कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख), म.प्र., कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर तथा सदस्य सचिव, जैवविविधता बोर्ड उपस्थित हुये। सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों के स्वागत उपरांत बैठक एजेण्डा एवं बोर्ड द्वारा संचालित गतिविधियों के संबंध में प्रस्तुतीकरण किया गया।

5. बोर्ड की गतिविधियाँ

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की गतिविधियों को निम्नलिखित कार्य क्षेत्रों में बांटा गया है:–

5.1 शोध एवं दस्तावेजीकरण,

5.2 शिक्षा, जागरूकता एवं प्रशिक्षण,

5.3 अंतःस्थलीय एवं बाह्यस्थलीय संरक्षण,

5.4 संवहनीय उपयोग एवं लाभों का समुचित बंटवारा,

5.5 सुशासन,

5.6 अन्य।

5.1 शोध एवं दस्तावेजीकरण

1. शोध एवं अध्ययन परियोजना

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड की गतिविधियों में अनुसंधान एवं दस्तावेजीकरण एक प्रमुख गतिविधि है, जिसके अंतर्गत जैव विविधता के विभिन्न पहलुओं पर अध्ययन/ दस्तावेजीकरण कार्य उपयुक्त संस्थानों/गैर शासकीय संगठनों/विशेषज्ञों से कराया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्ण की गई परियोजनाओं का विवरण निम्नानुसार है–

1.1 गोरैया पक्षी का संरक्षण एवं संवर्धन

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा परियोजना "Creating Awareness on House Sparrow and Make Proper Data of Sparrow Population of Bhopal District by Public Participation with Reference to Artificial Nesting" स्वीकृत की गई थी, जिसके अंतर्गत भोपाल जिले में गोरैया के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु जन–जागरूकता

के कई कार्यक्रम आयोजित किया गए। इन कार्यक्रमों में स्कूल–कॉलेज व आम नागरिकों समेत लगभग 500 प्रतिभागियों ने भाग लिया। जन जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत गोरैया पक्षी के कृत्रिम घोंसलों का वितरण भोपाल के अलग–अलग क्षेत्रों में किया गया इनमे संस्थाएँ जैसे श्री सत्य सांई गर्ल्स कॉलेज, शासकीय गर्ल्स पॉलीटेक्निक कॉलेज, व्ही.एन.एस. ग्रुप ऑफ इंस्टिट्यूट, शासकीय नवीन हायर सेकेंडरी विद्यालय, मित्तल ग्रुप संस्थान, डॉ श्याम प्रसाद मुखर्जी कॉलेज एवं वन विहार राष्ट्रीय उद्यान आदि शामिल हैं।

कृत्रिम घोंसलों का वितरण रहवासी क्षेत्रों में भी किया गया, जिसके अंतर्गत एवं 1000 कृत्रिम घोंसलों का वितरण किया गया जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत ऑनलाइन भोपाल स्पैरो कॉउंट कार्यक्रम का आयोजन किया गया इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को उनके क्षेत्र में दिखाई देने वाली गोरैया पक्षी के फोटो, संख्या, गतिविधि, नर–मादा, जीपीएस आदि जानकारियाँ ई–मेल के माध्यम से भेजी जानी थी।

परियोजना के अंतर्गत भोपाल के शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में अगस्त से अक्टूबर 2024 तक गोरैया पक्षियों की गणना की गई, जिसमें भेल, टी.टी. नगर, ओल्ड भोपाल, कोलार, बैरागढ एवं करोंद आदि क्षेत्र सम्मिलित किये गये। इस गणना में ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 672 एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 438 गौरेया पक्षियों का अवलोकन किया गया।

1.2 Biological Management of exotic invasive alien weed Eichhornia Crassipes (water hyacinth) पर अध्ययन

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से बॉयोडॉयवर्सिटी कन्सर्वेशन एंड रूरल बॉयोटेक्नोलॉजी सेन्टर, जबलपुर द्वारा परियोजना "Biological Management of exotic invasive alien weed Eichhornia Crassipes (water hyacinth) in Jabalpur division" स्वीकृत की गई, जिसके अंतर्गत जलकुंभी के प्रबंधन एवं उसके निवारण पर अध्ययन किया गया। जलकुंभी एक हानिकारक एवं जलीय खरपतवार है, जो जल पर तैरती, जलमग्न और उभरती हुई दिखाई देती है एवं जलीय पारिस्थितकीय तंत्र में विभिन्न समस्याएँ पैदा करती है। इसका सबसे अधिक संक्रमण एवं प्रभाव तालाबों, जलाशयों, सिंचाई और जल निकासी प्रणालियों एवं नदियों में पाया जाता है। यह खरपतवार बहुत तेजी से फैलता है एवं विश्व में सबसे तेज बढ़ने वाले पौधों में से एक है।

जलकुंभी पौधे का आवरण तेजी से जलीय स्त्रोतों में फैल जाता है एवं पानी को प्रदूषित कर अप्रिय गंध एवं निलंबित कण प्रदान करता है। जिससे जलस्रोत पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तथा

इससे जलीय तापमान, पीएच और बाइकार्बोनेट क्षारीयता में भी परिवर्तन होता है एवं जल स्त्रोत का मृत बी.ओ.डी. स्तर बढ़ जाता है।

जलकुंभी की रोकथाम हेतु रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग में उच्च लागत लगती है एवं इससे जल प्रदूषण का भी खतरा होता है, जबकि जैविक नियंत्रण एक प्रभावी, सुरक्षित और सस्ता प्रबंधन का तरीका है। परियोजना अंतर्गत जलकुंभी प्रबंधन हेतु कवक (फंजाई) को मायकोहरबिसाईड एजेंट के रूप में उपयोग किये जाने पर अध्ययन किया गया।

जबलपुर और उसके आस–पास के जलीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के उपरांत एक विशेष प्रकार का फंजाई अल्टरनेरिया अल्टरनाटा का चुनाव किया गया, जहां पर चयनित कवक के साथ विभिन्न प्रकार के अनुसंधान संबंधी प्रयोग करने के बाद चयनित कवक के साथ कुछ अन्य कवक तथा कुछ एडजुऐंट (सहायक) के सहयोग से माईकोहर्बीसाइड का कुशलतापूर्वक निर्माण किया गया। इस माईकोहर्बीसाइड का प्रयोग जलकुंभी पर किये जाने से यह बहुत अधिक प्रभावशील रहा, एवं जलकुंभी का फैलाव कम हुआ एवं उसकी वृद्धि में कमी होती हुयी देखी गई।

अनुसंधान के दौरान तैयार किये गये इस माईकोहर्बीसाइड का उपयोग तीन अलग–अलग आकार के जलकुंभियों के पौधौं पर पायलट परीक्षण किया गया, जहां पर तीनों प्रकार की जलकुंभियों के

Plate: Stages of Disease development by *Alternaria alternata* (MHFC#03)

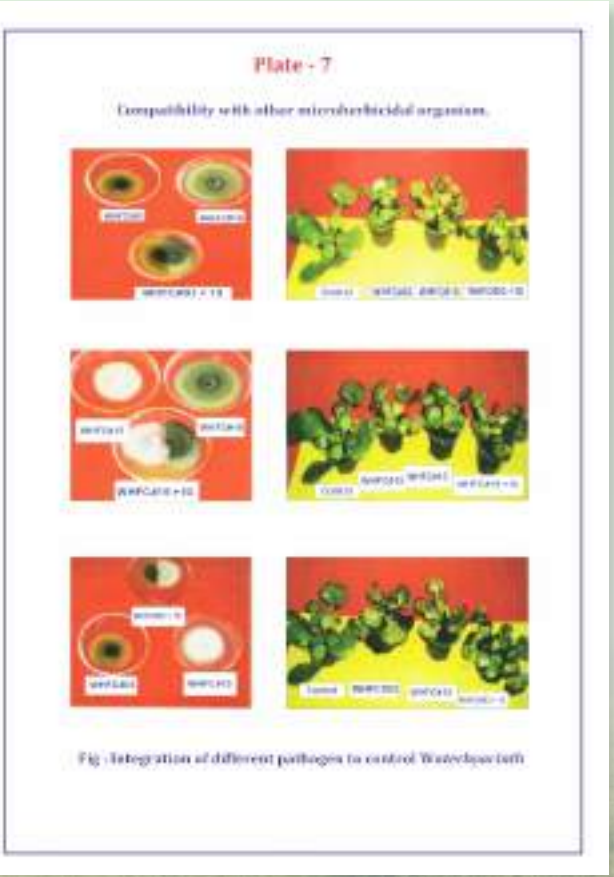

फैलाव में सकारात्मक परिणाम देखने को मिला। परियोजना अंतर्गत शोध के निष्कर्ष से इस प्रकार के हरबीसाइडल प्रोडक्ट के व्यवसायीकरण पर आवश्यक कार्य किया जा रहा है, जिससे इस जैविक खरपतवारनाशक को जन–साधारण तक पहुंचाया जा सके एवं जलकुंभी के दुष्प्रभाव से वातावरण को मुक्त किया जा सकें।

1.3 Conservation of Forest Owlet

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से वाइल्डलाईफ रिसर्च एंड कन्सर्वेशन सोसायटी, महाराष्ट्र द्वारा परियोजना "Conservation of Endangered Forest Owlet through integration of ecological research, sustainable forest management and local community participation in Kalibhit Forests of Khandwa district, M.P." परियोजना संचालित की गई जिसके अंतर्गत फॉरेस्ट आउलेट (*Athene blewitti*), जिसे स्थानीय स्तर पर ''वन उल्लू'' कहा जाता है, जो मध्य भारत की एक अत्यंत दुर्लभ और संकटग्रस्त प्रजाति है पर अध्ययन किया गया। यह उल्लू मुख्यतः पुराने, मिश्रित पर्णपाती जंगलों में पाया जाता है। WRCS (Wildlife Research and Conservation Society) द्वारा इस प्रजाति पर शोध और संरक्षण कार्य किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप इसकी स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। IUCN की रेड लिस्ट में इसे 'Critically Endangered' से बदलकर 'Endangered' श्रेणी में लाया गया है।परियोजना के दूसरे चरण (2021–2023) में मध्य प्रदेश के खंडवा, बुरहानपुर और बैतूल जिलों में 847 स्थलों पर विस्तृत सर्वेक्षण किए गए। खंडवा जिले की खाकर और पूर्वी कालीभीत रेंज में उल्लूओं की अच्छी उपस्थिति दर्ज की गई। बुरहानपुर की बोडरली रेंज में इस प्रजाति की पहली बार उपस्थिति प्राप्त हुई, जो संरक्षण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

परियोजना में केवल वैज्ञानिक अनुसंधान ही नहीं, बल्कि स्थानीय समुदायों के साथ सक्रिय भागीदारी भी शामिल रही। स्थानीय समुदायों में ईंधन की खपत कम करने हेतु तीन प्रकार के उन्नत चूल्हे वितरित किए गए, जिनसे लकड़ी की खपत में कमी आई। 308 खोखले पेड़ों को हरे रंग से चिह्नित कर संरक्षित किया गया जो उल्लुओं के घोंसले एवं उनके रहवास के लिए महत्त्वपूर्ण हैं। इसके अतिरिक्त, समुदायों में जागरूकता बढ़ाने हेतु स्कूलों, सड़क किनारे और रेंज कार्यालयों पर पोस्टर लगाए गए। अंबा रेंज की महिलाओं के लिए हस्तशिल्प कार्यक्रम भी पुनः प्रारंभ किया गया जिससे उन्हें आय के वैकल्पिक साधन उपलब्ध हुए।

परियोजना के प्रमुख अवलोकन निम्नानुसार हैं–

- खाकर रेंज में 16 और पूर्वी कालीभीत रेंज में 10 उल्लुओं की उपस्थिति दर्ज की गई।
- उल्लूओं के प्राकृतिक निवास स्थान (विशेषकर खोखले पेड़) की पहचान कर 308 पेड़ों को हरे रंग से चिन्हित कर संरक्षित किया गया।
- तीन प्रकार के उन्नत चूल्हों का वितरण कर समुदायों में ईंधन की खपत 40–50 प्रतिशत तक घटाई गई।

- समुदायों के साथ जागरूकता और सहभागिता कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिसमें स्कूलों, पंचायतों और वन रेंज कार्यालयों में पोस्टर, स्लाइड शो व बैठकों का आयोजन शामिल था।
- महिलाओं के लिए पारंपरिक हस्तशिल्प प्रशिक्षण कार्यक्रम पुनः शुरू कर वैकल्पिक आजीविका के साधन प्रदान किए गए।

WRCS द्वारा इस परियोजना के दौरान एक तकनीकी मार्गदर्शिका भी प्रकाशित की गई, जिसमें उल्लू के आहार, निवास, प्रजनन और व्यवहार पर आधारित निष्कर्ष संकलित हैं। जनवरी 2023 में इस परियोजना के निष्कर्षों को मध्य प्रदेश जैव विविधता बोर्ड द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।

यह परियोजना न केवल एक संकटग्रस्त प्रजाति के संरक्षण की दिशा में एक सशक्त प्रयास है, बल्कि यह स्थानीय समुदायों की सहभागिता के साथ पारिस्थितिकी, विज्ञान और जनजागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण भी प्रस्तुत करती है।

स्थानीय समुदाय की सहायता से फॉरेस्ट आउलेट (***Athene blewitti***) का संरक्षण

परियोजना अंतर्गत फॉरेस्ट आउलेट ***(Athene blewitti)*** का संरक्षण

1.4 Malabar Pied Hornbill की वर्तमान स्थिति पर अध्ययन

मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से श्री शिवाजी सांइस कॉलेज, अमरावती, महाराष्ट्र द्वारा परियोजना "Status and Distribution Survey and Study on Breeding Biology of Malabar Pied Hornbill in Pench Tiger Reserve" परियोजना पूर्ण की गई जिसके अंतर्गत मध्यप्रदेश के पेंच टाईगर रिजर्व के जंगल में मालाबार पाईड हॉर्नबिल *(Anthracoceros coronatus)* वर्तमान स्थिति, वितरण, संख्या, प्रजनन एवं पारिस्थितकीय का अध्ययन किया गया। यह भारत में मालाबार पाईड हॉर्नबिल के अन्य ज्ञात आवासों की तुलना में भिन्न जलवायु स्थिति को दर्शाता है। इसलिए यह अध्ययन महत्वपूर्ण है।

मालाबार पाइड हॉर्नबिल की अद्वितीयता – पाइड हॉर्नबिल भारतीय उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली हॉर्नबिल की नौ प्रजातियों में से एक है। IUCN रेड लिस्ट (2023) के अनुसार, अवैध शिकार, व्यापार, वनों की कटाई, निवास स्थान की हानि, वन विखंडन आदि के कारण इसकी आबादी, अवैध शिकार, व्यापार, वनों की कटाई, निवास स्थान की हानि, वन विखंडन आदि के कारण इसकी आबादी में चिंताजनक कमी हो रही है। मालाबार पाईड हॉर्नबिल पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और मध्य भारत में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के पर्णपाती जंगल और घने जंगल को पसंद करता है।

परियोजना अंतर्गत नवंबर 2021 से जुलाई 2023 के दौरान व्यापक सर्वेक्षण एवं अध्ययन किया गया, जिसके अंतर्गत पेंच टाइगर रिजर्व की विभिन्न रेंजों में मालाबार पाईड हॉर्नबिल की वितरण जानकारी प्राप्त की गई। अध्ययन अंतर्गत पेंच टाईगर रिजर्व एवं राष्ट्रीय उद्यान, मोगली अभ्यारण्य और बफर क्षेत्रों सहित कुल 109 इलाकों का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 78 इलाकों में मालाबार पाईड हॉर्नबिल की पुष्टि हुई है। यह पाया गया कि मालाबार पाईड हॉर्नबिल साथ ही भारतीय ग्रे हॉर्नबिल की अधिकतम आबादी पेंच टाईगर रिजर्व में अभ्यारण्य क्षेत्र और बफर क्षेत्रों की तुलना में राष्ट्रीय उद्यान तक ही सीमित थी। खाद्य प्राथमिकता गैर प्रजनन मौसम और प्रजनन मौसम दोनों के दौरान मालाबार पाईड हॉर्नबिल की खाद्य प्राथमिकता के एक भाग के रूप में अध्ययन क्षेत्र में कुल 39 फलवृक्ष की प्रजातियों को सूचीबद्ध किया गया है। 39 वृक्ष की प्रजातियों में से 22 वृक्ष की प्रजातियों के फल गैर प्रजनन मौसम में खाद्य स्त्रोत के रूप में काम करते हैं, जबकि 33 वृक्ष की प्रजातियों के फल प्रजनन के मौसम में मालाबार पाईड हॉर्नबिल द्वारा उपयोग किये जाते हैं। इन 39 वृक्ष की प्रजातियों में से 11 वृक्ष की प्रजातियॉ फाइकस और 28 वृक्ष की प्रजातियॉ गैर फाइकस थीं। ये सभी प्रजातियॉ हॉर्नबिल दोनों प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्त्रोत के रूप में काम करती हैं। मुख्य रूप से बरगद, पीपल, गुलर और पुत्रजीवी फल उनके प्रजनन और गैर प्रजनन मौसमों में हॉर्नबिल दोनों प्रजातियों के लिए एक महत्वपूर्ण खाद्य स्त्रोत के रूप में काम करते हैं।

प्रजनन और प्रजनन व्यवहार और बसेरा स्थलों का अध्ययन – मालाबार पाईड हॉर्नबिल घोंसले के सर्वेक्षण के के साथ–साथ अध्ययन क्षेत्र में कुल 77 भारतीय ग्रे हॉर्नबिल घोंसला स्थलों को

देखा गया और यह भी पाया गया कि महुआ के पेड़ों को भी इंडियन ग्रे हॉर्नबिल द्वारा पसंद किया गया है। पेंच टाईगर रिजर्व में घोंसला बनाना इन 77 घोंसलों में से 36 घोंसले वाली गुहाएं महुआ पेड़ों में स्थित पाई गई है।

परियोजना के दौरान पेंच टाईगर रिजर्व में मालाबार पाईड हॉर्नबिल की संख्या, वितरण, आवाजाही, चारागाह स्थलों, घोंसले के स्थलों, घोंसले की पारिस्थितिकी, बसेरा पारिस्थितिकी और मालाबार पाईड हॉर्नबिल की खाद्य प्राथमिकताओं पर उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए। शोधकर्ताओं ने उनके चारागाह, प्रजनन और बसेरा स्थलों का अवलोकन करके पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं में मालाबार पाईड हॉर्नबिल की भूमिका का भी अध्ययन किया।

निष्कर्ष – परियोजना के निष्कर्ष में मालाबार पाईड हॉर्नबिल के संरक्षण हेतु उनके आवासों को संरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त मालाबार पाईड हॉर्नबिल के घोंसले वाले स्थानों की सुरक्षा के लिए सक्रिय उपाय किए जाने की आवश्यकता है।

स्थानीय समुदाय के माध्यम से मालाबार पाईड हॉर्नबिल हेतु जनजागरूता कार्यक्रम

परियोजना अंतर्गत केमरे से लिये मालाबार पाईड हॉर्नबिल के छायाचित्र

1.5 Documentation of Traditional Ethno-Medicinal Knowledge of Gond Tribe

सेन्टर फॉर इनवायरमेंट एंड ससटेनेबल डेव्लेपमेंट, जबलपुर को प्रदाय परियोजना Documentation of traditional ethno-medicinal knowledge of Gond tribe in Madhya Pradesh अंतर्गत मध्यप्रदेश के विशाल वन क्षेत्रों में बैगा, गोंड, कोल, सहरिया, भील, कोरकू और अन्य जनजातियॉ रहती हैं। इनमें से गोंड जनजाति मध्यप्रदेश में व्यापक रूप से फैली हुई है। यह भारत का सबसे बड़ा आदिवासी समुदाय है और द्रविड़ मूल का है। गोंड शब्द कोंड से आया है, जिसका द्रविड़ मुहावरे में अर्थ हरे पहाड़ होता है। गोंड खुद को कोई या कोइतुरे कहते थे, लेकिन अन्य लोग उन्हें गोंड कहते थे क्योंकि वे हरे पहाड़ों में रहते थे। गोंड या कोइतुरे एक विषम समूह है जो दक्षिण में गोदावारी घाटियों से लेकर उत्तर में विंध्य पर्वत तक बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। यह मध्यप्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंधप्रदेश, बिहार, गुजरात, कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में वितरित है।

मध्यप्रदेश में ये विंध्य सतपुड़ा जिलों के घने जंगलों में नर्मदा नदी के किनारे मध्यप्रदेश में निवास करते हैं, अर्थात ये मुख्य रूप से मंडला, डिंडौरी, बालाघाट, शहडोल, उमरिया, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, जबलपुर, नर्मदापुरम, हरदा, रायसेन, सीधी, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, खंडवा, सीहोर, नरसिंहपुर आदि में निवास करते हैं। राज्य के अन्य जिलों में इनकी जनसंख्या कम है। गोंड जनजाति की जनसंख्या लगभग 5093124 आंकी गई है जो राज्य की जनसंख्या का 7.01 प्रतिशत है।

गोंड जनजाति भी पारंपरिक रूप से अपने जीवनयापन के लिए जंगलों पर अत्यधिक निर्भर रही है और उनके पास वन संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग की बहुत समृद्ध परंपराएं हैं। जनजाति की विभिन्न कुलों की अपनी पवित्र वृक्ष प्रजातियॉ हैं जिनकी वे पूजा करते हैं और रक्षा करते हैं। उनके पास लोक चिकित्सा की अपनी प्रणालियॉ भी हैं। संरक्षण और उपयोग प्रथाओं के बारे में पारंपरिक ज्ञान वर्तमान में बिखरे हुये रूप में है। पिछले कुछ दशकों के दौरान, पारंपरिक ज्ञान के महत्व को तेजी से पहचाना गया है और विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वनस्पतियों में उजागर किया गया है।

वर्तमान अध्ययन का उद्देश्य विभिन्न द्वितीयक स्त्रोतों से पारंपरिक प्रजातीय औषधीय ज्ञान का दस्तावेजीकरण और संकलन करना है। यह परियोजना पत्रिकाओं, रिपोर्टों, बुलेटिनों, शोध पत्रों, लेखों आदि के परामर्श के माध्यम से गोंड जनजाति पर सभी उपलब्ध साहित्य के दस्तावेजीकरण पर आधारित है। एकत्र किए गए सभी साहित्य की समीक्षा, स्कैनिंग, वर्गीकरण और अभिलेखीकरण किया गया। स्वदेशी ज्ञान को वर्णानुक्रम में प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रजातियों के नाम/परिवार, स्थानीय नाम, उपयोग किए जाने वाले भाग, पारंपरिक ज्ञान, आवेदन की विधि आदि जैसी प्रमुख विशेषताएं बताई गई हैं। प्राथमिक जानकारी एकत्र करने और उसका दस्तावेजीकरण करने के लिए एक संरचित अनुसूची का उपयोग किया गया। अध्ययन में मध्यप्रदेश की गोंड जनजाति द्वारा उपयोग की जाने वाली प्रजातीय वानस्पतिक महत्व की 351 प्रजातियों का दस्तावेजीकरण किया गया है।

1.6 6th Bhoj Wetland Winter Bird Count (2024-25)

मध्य प्रदेश जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी को "6th Bhoj Wetland Winter Bird Count (2024-25)" का कार्य स्वीकृत किया गया था, जिसके अंतर्गत पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनका पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण महत्व है। पक्षी बीज फैलाने वाले, परागणकर्ता, कीट नियंत्रक, पोषक चक्र और खाद्य जाल के आवश्यक घटक के रूप में पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग हैं। उनकी उपस्थिति या अनुपस्थिति पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य और कामकाज पर दूरगामी प्रभाव डाल सकती है, जिससे जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता बनाए रखने के लिए उनका संरक्षण और सुरक्षा महत्वपूर्ण हो जाती है। भोज वेटलैंड में पक्षियों की बहुत विविधता है जिसमें 210 से अधिक प्रजातियां दर्ज की गई हैं जिनमें निवासी, प्रवासी, वेटलैंड, स्थलीय, दुर्लभ और सामान्य पक्षी प्रजातियां शामिल हैं। यह इन पक्षियों को भोजन, आश्रय, प्रजनन क्षेत्र प्रदान करता है। हर साल हजारों पक्षी दुनिया के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, जिसने भोज वेटलैंड को रामसर साइट के साथ–साथ आईबीए (महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र) के रूप में नामित किया है।

भोज वेटलैंड के 5 जोन में पक्षियों की गणना की गई, सर्वेक्षण में विभिन्न अनुभवों वाले 120 प्रतिभागी शामिल हुए, यानी विशेषज्ञ और पर्यवेक्षक। सर्वेक्षण 22 दिसंबर 2024 से 2 फरवरी, 2025 तक सिटीजन साइंस का उपयोग करके किया गया। यह सर्वेक्षण मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसायटी द्वारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल, वन विभाग और वीएनएस नेचर सेवियर्स के सहयोग से किया गया था। सर्वेक्षण 5 चरणों में पूरा किया गया। सर्वेक्षण–पूर्व योजना, पथ–निर्धारण और क्षेत्र–वितरण, प्रतिभागियों द्वारा क्षेत्र सर्वेक्षण और डेटा संग्रहण, तथा सर्वेक्षण–पश्चात डेटा संकलन और विश्लेषण। पक्षी सर्वेक्षण के निर्माण के लिए एक वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया गया था। क्षेत्र सर्वेक्षण पद्धति में संशोधित लाइन ट्रांसेक्ट का उपयोग किया गया था, जो एक लाइन ट्रांसेक्ट और एक बिंदु गणना का मिश्रण था। प्रत्येक शिविर में 10–15 प्रतिभागियों की एक टीम शामिल थी, जिसमें कम से कम दो पक्षी विशेषज्ञ शामिल थे। प्रतिभागियों द्वारा गणना फॉर्म भरकर डेटा मैन्युअल रूप से एकत्र किया जाता है।

प्राथमिक डेटा से निष्कर्ष निकालने के लिए प्राप्त डेटा का विश्लेषण किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पक्षियों की 152 प्रजातियाँ देखी गईं, जो 51 फैमिली से संबंधित थी, जिनमें स्थानीय और प्रवासी पक्षी शामिल थे। 152 में से 1 प्रजाति स्टेपी ईगल लुप्तप्राय प्रजाति थी। 6 प्रजातियाँ खतरे के करीब थीं, जैसे ओरिएंटल डार्टर, पेंटेड स्टॉर्क, ब्लैक–हेडेड आइबिस, ब्लैक–टेल्ड गॉडविट, रिवर टर्न और वूली–नेक्ड स्टॉर्क और 1 प्रजाति संकटग्रस्त थी, जैसे सारस क्रेन। पक्षियों की कुल अनुमानित जनसंख्या 31813 थी प्रजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या 12812 देखी गई रूट सं. 1 (आईकॉनिक स्कूल से बीलखेड़ा) तथा रूट सं. 5 (बोरवन) में प्रजातियों की सबसे कम संख्या 3579 देखी गई। 152 प्रजातियों में से 97 प्रजातियाँ व्यापक रूप से निवास करने वाली या स्थाई थीं और 55 प्रजातियाँ प्रवासी

थीं। सिटीजन साइंस से इस गणना के माध्यम से 120 प्रतिभागियों के योगदान से भोज वेटलैंड के 5 मार्गों का सर्वेक्षण किया गया।

भोज वेटलैंड में लंबे समय तक पक्षियों की निगरानी की जाने से पक्षियों की कई और प्रजातियां मिलने की संभावना है। इस तरह के अध्ययनों को नियमित आधार पर क्षेत्र के शोधकर्ताओं और छात्रों के साथ अभ्यास करने की आवश्यकता है। परिणामों की अधिक ठोस व्याख्या करने के लिए प्रत्येक ट्रेल की कई प्रतिकृतियों के साथ मौसमी सर्वेक्षण की आवश्यकता है। साथ ही, एक सार्वजनिक–निजी–भागीदारी मॉडल विकसित करने की आवश्यकता है, जहां वन विभाग, गैर सरकारी संगठन, वन्यजीव उत्साही, शोधकर्ता और कॉर्पोरेट क्षेत्र जैसे हितधारक पक्षी विविधता के संरक्षण और सुरक्षा के लिए एक ही मंच पर योगदान कर सकते हैं। इस सर्वेक्षण के माध्यम से सर्दियों के मौसम में भोज वेटलैंड के पक्षियों के लिए बेसलाइन डेटा सफलतापूर्वक स्थापित किया गया था, लेकिन पक्षी विविधता और उन पर जलवायु परिवर्तन और अन्य कारकों के प्रभाव को समझने में दीर्घकालिक निगरानी सहायक हो सकती है।

2. जैवविविधता का दस्तावेजीकरण – लोक जैवविविधता पंजी

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 41 एवं मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम, 23 के प्रावधानों के अंतर्गत सेकेण्डरी डाटा के आधार पर समस्त स्थानीय निकाय (ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत 23,179 एवं नगरीय निकाय 378 कुल 23,557) स्तर पर Digital and Dynamic लोक जैवविविधता पंजी का निर्माण Secondary data के आधार पर किया जा चुका है। इस जानकारी को सामान्य जन–शोधकर्ताओं तक पहुंचाने हेतु बोर्ड द्वारा Digital and Dynamic E-PBR Portal का निर्माण किया गया है। बोर्ड के तकनीकी सहयोग से प्राइमरी डाटा के आधार पर वर्ष 2024–25 में 175 पंजियों का अद्यतनीकरण कार्य पूर्ण किया गया है साथ ही अन्य स्थानीय निकाय स्तर पर पंजी का अद्यतनीकरण कार्य किया जा रहा है।

01.04.2024 से 31.03.2025 तक बोर्ड में जमा लोक जैवविविधता पंजी		
क्रमांक	स्थानीय निकाय	संख्या
1	जनपद पंचायत	17
2	ग्राम पंचायत	151
3	नगर निगम	01
4	नगर पालिका	06
	कुल	175

जैवविविधता प्रबंधन समिति
नगर पालिका – शुजालपुर, जिला–शाजापुर
की लोक जैवविविधता
पंजी बोर्ड में जमा की गयी।

जैवविविधता प्रबंधन समिति
नगर पालिका – बड़वानी, जिला–बड़वानी
की लोक जैवविविधता
पंजी बोर्ड में जमा की गयी।

जैवविविधता प्रबंधन समिति
जनपद पंचायत पंधाना एवं छैगांवमाखन
एवं खंडबा के ग्राम पंचायत – जामन्या कला,
दोगलिया एवं खियाला, जिला–खंडबा की
लोक जैवविविधता पंजी बोर्ड में जमा की गयी।

जैवविविधता प्रबंधन समिति
नगर पालिका – मनावर
जिला–धार की लोक जैवविविधता
पंजी बोर्ड में जमा की गयी।

5.2 जैवविविधता शिक्षा एवं जागरूकता

1. अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस (22 मई 2024) (International Day for Biological Diversity)

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर Convention on Biological Diversity (CBD) सचिवालय द्वारा 2024 की विषयवस्तु **"BE PART OF THE PLAN"** पर आधारित विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में 18 जैवविविधता प्रबंधन समितियों (ग्राम पंचायत– लावाघोगरी, डोडिया, टेमनीखुर्द, हिवरावासुदेव, एवं घटलिंगा (पातालकोट), जिला –छिन्दवाड़ा, ग्राम पंचायत– सोठावाड़ी, माहुलपानी, सिरकापार, जिला–सिवनी, ग्राम पंचायत– लंगडिया, मुरैना, नदना, भिण्ड, नौढ़िया, जिला –सीधी, ग्राम पंचायत– भिलाई, जिला –सीहोर, ग्राम पंचायत–हिनौती सडक, जिला –भोपाल, ग्राम पंचायत– मझगॉय, ग्राम

पंचायत– निमहा–मोहाना, उदयपुर, गुमानगंज, लौलास, जिला–पन्ना) तथा वन मण्डल स्तर पर विभिन्न जैवविविधता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये गये। साथ ही राज्य वन अनुसंधान संस्थान (SFRI), जबलपुर में जैवविविधता संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन बोर्ड द्वारा किया गया।

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस के अवसर पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय कार्यक्रम एवं जैवविविधता जागरूकता संबंधित गतिविधियों का आयोजन

2. चित्रकला प्रतियोगिता कार्यक्रम

अंतर्राष्ट्रीय जैवविविधता दिवस 2024 के अवसर पर चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन दिनांक 16 मई 2024 को शासकीय उत्कृष्ठ सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल तथा नर्मदा कॉलेज ऑफ फाइन आर्टस, भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में किया गया। प्रतिभागियों की श्रेणी 01 (कक्षा – 05 वीं से 8 वीं) – प्रथम पुरस्कार – अवैज आलम, द्वितीय–नैसा यादव एवं तृतीय पुरस्कार भूमि मौर्या, श्रेणी–02 (कक्षा – 09 वीं से 12 वीं) प्रथम पुरस्कार– दिव्यांशी सिंह, द्वितीय–वैदिका जैन एवं तृतीय–रूचि लोधी तथा श्रेणी–03 में प्रथम पुरस्कार –विजय खैरनार, द्वितीय–विजय घरवार एवं तृतीय– मांसी बंसोड़े को प्रदान किया गया।

कार्यक्रम के समापन अवसर पर बोर्ड की ओर से गौरेया संरक्षण हेतु नेस्ट बॉक्स वितरण, मानव श्रृंखला निर्माण, शपथ ग्रहण, स्लोगन राईटिंग एवं पौधा वितरण किया गया।

दिनांक 16.05.2024 को चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन

3. विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2024 एवं मिशन लाईफ जागरूकता कार्यक्रम –

वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से मैदानी स्तर पर जागरूकता फैलाने हेतु मिशन लाइफ की विषयवस्तु "Land Restoration, Drought Resilience and Desertification" (भूमि बहाली, मरूस्थलीकरण और सूखा लचीलापन) अंतर्गत दिनांक 22.05.2024 से 05.06.2025 तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। दिनांक 05.06.2024 को सरोजिनी नायडू कन्या शास. स्नातकोत्तर (स्वशासी) महाविद्यालय, भोपाल, सुभाष उत्कृष्ट हायर सेकेण्डरी स्कूल, भोपाल एवं व्ही. एन. एस. इंस्टीट्यूट, भोपाल में छात्र–छात्राओं में जैवविविधता संरक्षण संवर्धन हेतु जागरूकता फैलाने के लिए – स्लोगन प्रतियोगिता, जैवविविधता क्विज प्रतियोगिता, आशुभाषण प्रतियोगिता आदि का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 102 विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभागिता की गयी। मिशन लाइफ कार्यक्रम अंतर्गत बोर्ड के संयुक्त तत्वाधान में 18 जैवविविधता प्रबंधन समिति, 12 शैक्षणिक संस्थानों एवं 10 स्वयं सेवी संस्थाओं स्तर पर विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

मिशन लाईफ अंतर्गत आयोजित जागरूकता कार्यक्रम

4. राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार – 2022

जैवविविधता संरक्षण को प्रोत्साहन देने एवं इस दिशा में उत्कृष्ट कार्य कर रहे व्यक्ति, अशासकीय संस्थान, जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले शासकीय विभागों (वन, कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, मछली पालन एव जल संसाधन) को चिन्हित करने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार योजना वर्ष 2018 से प्रारंभ की गई है। दिनांक 07 अक्टूबर, 2024 को वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल में आयोजित वन्यजीव सप्ताह–2024 के समापन दिवस पर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल जी द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार–2022 के पुरस्कारों का वितरण किया गया। इस अवसर पर वन एवं पर्यावरण विभाग के राज्य मंत्री, अपर मुख्य सचिव, वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, म.प्र. एवं मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सदस्य सचिव उपस्थित थे। यह पुरस्कार 05 श्रेणियों में प्रदान किये गये। विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	श्रेणी	पुरस्कार			चयनित प्रविष्टियॉं
01	जैवविविधता स्वामित्व रखने वाले विभाग	प्रथम	–	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	जय भादवमाता कृषि तकनीकी प्रबंधन समिति, किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, नीमच
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल
02	व्यक्तिगत (अशासकीय)	प्रथम	3.00 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	श्री रामलोटन कुशवाह, सतना
		द्वितीय	2.00 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	श्री रवीन्द्र सिंह, से.नि. सहायक वन संरक्षक, छिंदवाडा (म.प्र.)

क्र.	श्रेणी	पुरस्कार			चयनित प्रविष्टियॉं
03	व्यक्तिगत (शासकीय)	द्वितीय	0.50 लाख	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	डॉ. सुनील कुमार त्यागी, वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र, खरगोन (म.प्र.)
04	पहुंच एवं लाभ प्रभाजन के अधिकतम अनुबंध (अ) श्रेष्ठ वनमंडल	प्रथम	–	प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	सतना वनमंडल
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	डिण्डौरी वनमंडल
	(ब) श्रेष्ठ वन वृत्त	प्रथम		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	जबलपुर वन वृत्त
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	रीवा वन वृत्त
05	पहुंच एवं लाभ प्रभाजन की अधिकतम राशि (अ) श्रेष्ठ वनमंडल	प्रथम		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	श्योपुर वनमंडल
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	सतना वनमंडल
	(ब) श्रेष्ठ वन वृत्त	प्रथम		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	ग्वालियर वन वृत्त
		द्वितीय		प्रशस्ती पत्र एवं ट्राफी	रीवा वन वृत्त

महामहिम श्री मंगूभाई पटेल, राज्यपाल, मध्यप्रदेश द्वारा राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार 2022 के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

5. राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह – 2024

वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, भोपाल द्वारा वन विहार के प्रांगण में दिनांक 01–07 अक्टूबर 2024 को राज्य स्तरीय वन्यजीव सप्ताह–2024 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं वन बल प्रमुख (म.प्र.), प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) वन विभाग, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, मध्यप्रदेश ईको पर्यटन विकास बोर्ड तथा वरिष्ठ वन अधिकारी उपस्थित रहे, जिनके द्वारा जैवविविधता बोर्ड की प्रदर्शनी स्टॉल का निरीक्षण किया गया। बोर्ड द्वारा आयोजित प्रदर्शनी स्टॉल में जैवविविधता जागरूकता के उद्देश्य से अनेक जागरूकता सामग्री जैसे Lesser known species के ब्रोशर, बुकमार्क, विद्यार्थियों हेतु जैवविविधता लीडर की डायरी, वन्यजीव आधारित कलरिंग बुक आदि का प्रदर्शन किया गया।

बोर्ड द्वारा वन विहार, राष्ट्रीय उद्यान में विद्यार्थियों एवं आगंतुकों हेतु स्पॉट क्विज़, स्टेट एनिमल एवं स्टेट बर्ड का मैप गेम, पक्षियों की आवाज पहचानने की प्रतियोगिता एवं अन्य जैवविविधता संबंधी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। आयोजित प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से जैवविविधता आधारित प्रचार–प्रसार सामग्री का वितरण किया गया। स्पॉट क्विज एवं अन्य प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रमाण पत्र एवं गिफ्ट हेम्पर वितरित किये गये। साथ ही प्रदेश के महामहिम राज्यपाल महोदय एवं राज्य मंत्री,

महामहिम श्री मंगूभाई पटेल, राज्यपाल, मध्यप्रदेश द्वारा पुस्तिका, क्विज पोस्टर, वीडियो का विमोचन

वन एवं पर्यावरण द्वारा राज्य स्तरीय मध्यप्रदेश जैवविविधता क्विज 2024 के लोगो, वीडियो एवं पोस्टर तथा बोर्ड द्वारा डब्ल्यू.डब्ल्यू.एफ. के संयुक्त तत्वाधान में निर्मित जैवविविधता जागरूकता हेतु ब्रोशर – ''मध्यप्रदेश की सामान्य तितलियां'' का विमोचन किया गया। महामहिम राज्यपाल महोदय एवं राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण द्वारा दिनांक 16.05.2024 को भोपाल में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता एवं राज्य स्तरीय वार्षिक जैवविविधता पुरस्कार 2022 के विजेताओं को पुरस्कृत किया गया।

6. मोगली बाल उत्सव कार्यक्रम – 2024

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं मध्यप्रदेश शासन के अन्य विभाग एवं संस्थाओं द्वारा विद्यालीयन छात्र–छात्राओं में प्रकृति के प्रति प्रेम जागृत करने के उद्देश्य से वर्ष 2004 से मोगली बाल उत्सव का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। मोगली बाल उत्सव में प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिभागिता की जाती है। इस वर्ष भी मोगली बाल उत्सव 2024 का तीन दिवसीय आयोजन दिनांक 11 नवंबर से 13 नवंबर 2024 तक पेंच टाईगर रिजर्व, सिवनी में किया गया, जिसमें 55 जिलों से 244 विद्यार्थियों एवं 108 मार्गदर्शी शिक्षकों द्वारा भाग लिया गया।

कार्यक्रम में सभी प्रतिभागियों को बोर्ड द्वारा जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित पाठ्य सामग्री एवं प्रतिभागिता हेतु प्रमाण पत्र प्रदान किये गये। राज्य स्तरीय मोगली बाल उत्सव –2024 कार्यक्रम का शुभारंभ श्री दिनेश राय मुनमुन, विधायक सिवनी, श्री एस.एस. कुमरे, जिला शिक्षा अधिकारी, सिवनी एवं श्री मनोज कुमार सोलंकी, सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड भोपाल, द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। प्रतिभागी सभी छात्र–छात्राओं को तीन समूहो – बघीरा, बलू तथा का ग्रुप में विभाजित किया गया।

बोर्ड द्वारा प्रशिक्षित सहजकर्ताओं के सहयोग से तीन दिवसीय कार्यक्रम में जैवविविधता आधारित मोगली कैम्प की गतिविधियॉ – नेचर ट्रेल, ट्रेजर हंट, हेबिटेट सर्च, पार्क सफारी, आदि प्रमुख गतिविधियों का संचालन किया गया। मोगली बाल उत्सव कार्यक्रम में जैवविविधता प्रबंधन समिति, सोठावाडी, जिला सिवनी द्वारा विलुप्त प्रायः संकटापन्न वनस्पतियों, देशी अनाजों (मिलेट्स) की प्रदर्शनी लगाई गई। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, भोपाल द्वारा चिल्ड्रन साइन्स सेंटर, इंदौर के सहयोग से राज्य पेंच टाईगर रिजर्व सिवनी में ''चलित विज्ञान प्रदर्शनी बस'' के माध्यम से तारामण्डल की गतिविधियाँ एवं टेलीस्कोप द्वारा रात्रि कालीन आकाश दर्शन तथा विज्ञान के प्रयोगों पर आधारित मैजिक ऑफ साइंस गतिविधियों का आयोजन किया गया।

मोगली बाल उत्सव कार्यक्रम की विभिन्न गतिविधियों का संचालन

7. अंतर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेला 2024 (जैवविविधता प्रदर्शनी)

मध्यप्रदेश राज्य लघुवनोपज (व्यापार एवं विकास) सहकारी संघ मर्यादित (वन विभाग) द्वारा भोपाल में दिनांक 17 से 23 दिसंबर 2024 तक अन्तर्राष्ट्रीय हर्बल वन मेला 2024 का आयोजन किया गया। वन मेले का शुभारंभ दिनांक 17 दिसंबर 2024 को महामहिम राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल एवं माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रदर्शनी स्टॉल का आयोजन किया गया। जैवविविधता प्रदर्शनी स्टॉल पर जैवविविधता प्रबंधन समिति बीजापुर जिला–अनूपपुर एवं सिवनी द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई।

प्रदर्शन स्टॉल में जैवविविधता के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी प्रदान की गई एवं जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन के संबंध में जन जागरूकता पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही कृषि जैवविविधता के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रदेश में पाये जाने वाले मोटे अनाजों की विभिन्न पारंपरिक किस्में कोदो, कुटकी, संवा, ज्वार, मक्का, गेहूँ, की किस्में, कठिया, लाल गेहूँ, काला गेहूँ तथा धान की पारम्परिक किस्में जैसे जीराशंकर, विष्णुभोग, चिन्नौर, करगी, भांटाफूल, करघना, लुचई इत्यादि की अनुवांशिक जैवविविधता का प्रदर्शन किया गया। मेले में लगभग 40 हजार व्यक्तियों, विद्यालयीन एवं महाविद्यालयीन छात्र–छात्राओं द्वारा जैवविविधता आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन कर जानकारी प्राप्त की गई। बोर्ड में संचालित विभिन्न गतिविधियों को पोस्टर के माध्यम से प्रदर्शित किया गया।

दिनांक 17 से 23 दिसम्बर 2024

8. Science Fiesta 2024-25

आंचलिक विज्ञान केन्द्र, भोपाल द्वारा दिनांक 10–12 जनवरी 2025 को आंचलिक विज्ञान केन्द्र के प्रांगण में "Science Fiesta 2024-25" का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारम्भ डॉ. संजय गोयल, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र. शासन एवं डॉ. शंकर वी. नाखे, पूर्व निदेशक, राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केन्द्र, इन्दौर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदर्शन स्टॉल स्थापित किया गया, जिसमें बोर्ड के कर्मचारियों द्वारा प्रतिभागिता की गई। बोर्ड द्वारा प्रदेश में पाये जाने वाले मोटे अनाजों की विभिन्न पारंपरिक किस्में कोदो, कुटकी, संवा, ज्वार,

मक्का, गेहूँ, की किस्में कठिया, लाल गेहूँ, काला गेहूँ तथा धान की पारम्परिक किस्में जैसे जीराशंकर, विष्णुभोग, चिन्नौर, करगी, भांटाफूल, करघना, लुचई इत्यादि की अनुवांशिक जैवविविधता का प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन क्षेत्र में कुल 18 विभागों जैसे–क्षेत्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, IISER, EPCO, ICAR IIPR, NID, IGRMS, CSIR-AMPRI, NIFT, CRISP, RRCAT, AIIMS, IMD, CIPET, RMNH, MPCST और RGPV द्वारा प्रदर्शन स्टॉल स्थापित किये गये जिसमें उनके द्वारा आंगतुकों को विभिन्न विषयों पर प्रायोगिक नमूनों के प्रदर्शन द्वारा जानकारी प्रदाय की गई। इस कार्यक्रम में लगभग 30 स्कूलों से 4000 छात्र–छात्राओं ने प्रदर्शन स्टॉलों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से संबंद्ध लोगों द्वारा भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कार्यक्रम का समापन दिनांक 12 जनवरी 2025 को आंचलिक विज्ञान केन्द्र के सभागार में किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को प्रमाण–पत्र एवं ट्राफी प्रदाय की गई।

आंचलिक विज्ञान केन्द्र, भोपाल में Science Fiesta – 2025 कार्यक्रम का आयोजन

9. 3rd National Conference on - Lesser-Known Faunal Species of MP

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं सोसायटी ऑफ नेचर हीलर्स, कंजर्वेशन एंड लोकल टूरिज्म डेवलपमेंट (SNHC), के संयुक्त तत्वाधान में श्री जे.एन. कंसोटिया, आई.ए.एस. के मुख्य अतिथ्य में 3rd National Conference on - Lesser-Known Species of MP का आयोजन दिनांक 17 से 19 जनवरी 2025 को एप्को पर्यावरण परिसर, भोपाल में किया गया। इस अवसर पर डॉ. सुहास कुमार, आई.एफ.एस. (से.नि.), श्री जसबीर सिंह चौहान, आई.एफ.एस. (से.नि.), श्री आर. श्रीनिवास मूर्ति, आई.एफ.एस. (से.नि.), डॉ. अनीष अंधेरिया, अध्यक्ष, डब्ल्यू.टी.आई उपस्थित थे।

कार्यक्रम में केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA), बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी (BNHS), WWF-INDIA, विद्या निकेतन समिति (VNS), कॉर्बेट फाउंडेशन, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान और चिड़ियाघर, विधि केंद्र फॉर लीगल पॉलिसी, मोंगाबे इंडिया, राष्ट्रीय मानव बस्तियां और पर्यावरण केंद्र

(एनसीएचएसई), ग्रीन हब और कई अन्य जैसे सहयोगी संगठनों द्वारा व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की गई।

तीन दिवसीय संगोष्ठी कार्यशाला में पूरे भारत से लगभग 1300 से अधिक प्रतिभागियों द्वारा ऑनलाईन प्रतिभागिता की गयी। संगोष्ठी के 05 तकनीकी सत्रों में कुल 14 प्रस्तुतीकरण किये गये, जिसमें Lesser known species के अलग–अलग पहलूओं – Biology, ecology, conservation challenges, conservation strategies पर विषय विशेषज्ञों, field researcher/ scientists द्वारा अपने प्रस्तुतीकरण एवं अनुभव साझा किये गये।

3rd National Conference on - Lesser-Known Faunal Species of Madhya Pradesh

10. 'यशस्वी भारत 2025' मेगा प्रदर्शनी जिला–रीवा

संसा फाउंडेशन, दिल्ली द्वारा दिनांक 28–30 जनवरी 2025 को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मार्तण्ड क्रमांक–1 जिला–रीवा के प्रांगण में ''यशस्वी भारत 2025'' मेगा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का शुभारम्भ श्री जनार्दन मिश्रा, सांसद सदस्य, श्री नरेन्द्र प्रजापति, विधानसभा सदस्य एवं श्री पांचूलाल प्रजापति, पूर्व विधानसभा सदस्य द्वारा किया गया।

इस प्रदर्शनी में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित की गयी। प्रर्दशनी स्टॉल में जैवविविधता के विभिन्न पहलुओं पर जागरूकता के उद्देश्य से विस्तार से

बताया गया। इसके साथ ही कृषि जैवविविधता के अंतर्गत बोर्ड द्वारा प्रदेश में पाये जाने वाले औषधीय पौधों जैसे–खुरासानी इमली, कैथा, आवंला, दीपमाला, स्नेक प्लांट, कचनार, मैदा छाल, अर्जुन छाल, रत्ती, सायकस, चंदन, रसभरी, भोजपत्र, शिवलिंगी, जलजमनी, पीपल छाल, भोजपत्र, सफेद पलाश, कमरख, मत्स्यगंधा, अडूंसा, कालमेघ पंचाग, एलोवेरा, भृंगराज, सफेद दूब, पत्थरचटा, सिरस छाल, नारी दमदमी, बड़ा चकौड़ा, बबूल छाल, गूमी, केसर, पीली बैंजती फूल, कटैरी, हुरहुर, गंध परसारी, बिच्छु बूटी, हर्रा, अंरडी बीज, सरसों, बरगद फल, आमछाल इत्यादि जैवविविधता का प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनी में जैवविविधता से संबंधित क्विज का आयोजन किया गया।

प्रदर्शन क्षेत्र में अन्य शासकीय विभागों द्वारा भी प्रदर्शनी स्टॉल स्थापित की गयी। लगभग 20 स्कूलों से 25000 छात्र–छात्राओं द्वारा जैवविविधता प्रदर्शनी स्टॉल में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लोगों द्वारा भी प्रदर्शनी का अवलोकन किया गया। कार्यक्रम का समापन दिनांक 30 जनवरी 2025 को श्री वीरेंद्र गुप्ता, बीजेपी जिला अध्यक्ष, श्री व्यंकटेश पांडे, नगर निगम, श्री के.पी. तिवारी, संयुक्त संचालक, शिक्षा विभाग के कर कमलों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के समापन पर मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को श्रेष्ठ प्रदर्शनी हेतु ट्राफी प्रदाय की गई।

''यशस्वी भारत 2025'' मेगा प्रदर्शनी जिला रीवा में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदर्शनी अंतर्गत प्रथम पुरस्कार।

11. विश्व वेटलैण्ड दिवस 2025

मध्य प्रदेश जैवविविधता बोर्ड के सहयोग से भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसाइटी को 6th Bhoj Wetland Winter Bird Count (2024–25) का कार्य स्वीकृत किया गया, जिसके अंतर्गत भोज वेटलैंड के 5 जोन में पक्षियों की गणना की गई। सर्वेक्षण 22 दिसंबर 2024 से 02 फरवरी, 2025 तक आम नागरिकों एवं विभिन्न अनुभव वाले विशेषज्ञों को सम्मिलित करते हुये किया गया। सर्वेक्षण 5 चरणों में पूरा किया गया। सर्वेक्षण के दौरान पक्षियों की 152 प्रजातियाँ देखी गईं, जिनमें स्थानीय और प्रवासी पक्षी शामिल थे।

भोज वेटलैण्ड के अंतर्गत शीतकालीन पक्षी गणना समापन कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड से श्री मनोज कुमार सोलंकी, सहायक सदस्य सचिव द्वारा प्रवासी पक्षी एवं वेटलैण्ड संरक्षण के संबंध में जानकारी प्रदाय की गई।

विश्व वेटलैण्ड दिवस 2025 के अवसर पर दिनांक 02.02.2025 का भोज वेटलैण्ड विन्टर बर्ड काउन्ट 2024–25 कार्यक्रम

12. ग्रामोदय मेला–2025 चित्रकूट जिला सतना

दीनदयाल शोध संस्थान, चित्रकूट जिला सतना, चित्रकूट द्वारा आयोजित ग्रामोदय मेला 2024 में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा दिनांक 25 से 27 फरवरी, 2025 में प्रतिभागिता की गयी। कार्यक्रम में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा विलुप्त प्रायः संकटापन्न देशी फसलों एवं फलों की प्रजातियों तथा जैवसंसाधनों पर आधारित जैवविविधता प्रदर्शनी (स्टॉल) लगाई गई। इस प्रदर्शनी में बोर्ड की ओर से जैवविविधता प्रबंधन समिति ग्राम पंचायत –नौढ़िया, जिला सीधी एवं बोर्ड के सदस्यों द्वारा जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन से संबंधित किये जा रहे कार्यों का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित संगठन सचिव, माननीय सांसद, सतना, तत्कालीन विधान सभा अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारीगण, आगंतुओं द्वारा प्रदर्शनी स्टॉल का अवलोकन किया गया।

5.3 अन्त :स्थलीय/बाह्य स्थलीय संरक्षण

1. सिरपुर झील, जिला–इंदौर जैवविविधता विरासत स्थल

सिरपुर झील जिला इंदौर, मध्यप्रदेश जिले में 22°42' 17'' N 75°49' 06'' E पर स्थित है एवं 260 हैक्टेयर में फैला हुआ है। सिरपुर झील में 175 पादप प्रजातियां तथा 177 जीवों की प्रजातियां विद्यमान है, जिनमें से 130 पक्षियों की प्रजातियां, 14 सरीसृप एवं अन्य जन्तुओं की प्रजातियां तथा 34 तितलियों की प्रजातियॉ सम्मिलित है। सिरपुर झील प्रवासी (Migratory) पक्षियों के लिये महत्वपूर्ण आवास है तथा

लगभग 100 प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां शीत ऋतु में यहॉ प्रवास करते है। सिरपुर वेटलैंड को रामसर साईट एवं Important Bird Area घोषित किया गया है, जो कि पारिस्थितिकीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है एवं जिसको जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड को प्राप्त हुआ।

प्रस्ताव के क्रम में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 व मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 (1) के प्रावधान तथा मध्यप्रदेश में जैवविविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site) दिशानिर्देश 2017 अनुसार मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 30 दिनांक 26.07.2024 द्वारा सिरपुर झील इंदौर को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया।

2. मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) परिसर, भोपाल जैवविविधता विरासत स्थल

मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंध संस्थान (वाल्मी) परिसर, मध्यप्रदेश के भोपाल शहर की सीमा अंतर्गत हरित क्षेत्र है, जो कि वानिकी, कृषि, उद्यानिकी एवं जलीय जैवविविधता से परिपूर्ण एवं पारिस्थितिकीय दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। जो कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत वाल्मी के आधिपत्य में है एवं 98.791 हैक्टेयर में फैला हुआ है। वाल्मी परिसर में 151 जीवों की प्रजातियां विद्यमान है, जिनमें 29 सरीसृप, 07 उभयचर, 14 स्क्वामाटा, 13 स्तनधारी, 71 पक्षी, 15 तितलियों की प्रजातियां है। वाल्मी परिसर में 173 पादप प्रजातियां उपलब्ध है, जिनमें 53 औषधीय एवं 08 दुर्लभ प्रजातियां सम्मिलित है। वाल्मी परिसर, कलियासोत डेम के किनारे स्थित है, जो कि पारिस्थितिकीय दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है एवं जिसको जैवविविधता विरासत स्थल के रूप में संरक्षित किये जाने का प्रस्ताव बोर्ड को प्राप्त हुआ।

प्रस्ताव के क्रम में जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा 37 व मध्य प्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 के नियम 22 (1) के प्रावधान तथा मध्यप्रदेश में जैवविविधता विरासत स्थल (Biodiversity Heritage Site) दिशानिर्देश 2017 अनुसार मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 209 दिनांक 26.07.2024 द्वारा वाल्मी, भोपाल को जैवविविधता विरासत स्थल घोषित किया गया।

3. जैवविविधता जागरूकता सह जैवसंसाधनों के क्रय–विक्रय दर के सर्वेक्षण हेतु चयनित रिसोर्स पर्सन के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला

जैवविविधता जागरूकता सह जैवसंसाधनों के क्रय–विक्रय दर के सर्वेक्षण हेतु चयनित रिसोर्स पर्सन के संबंध में एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 को स्थान–वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल में किया गया। क्रय–विक्रय दर के सर्वेक्षण हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला में चयनित रिसोर्स पर्सन सहित लगभग 35 प्रतिभागी उपस्थित हुए।

कार्यशाला के प्रारंभ में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं बोर्ड के सदस्य सचिव श्री सुदीप सिंह द्वारा अपने उद्‌बोधन में प्रदेश के जैवसंसाधनों के क्रय एवं विक्रय दर के आंकलन एवं इसके महत्व के बारे में

बताया। उन्होंने बताया कि जैवविविधता जागरूकता सह जैवसंसाधनों के क्रय–विक्रय दर के सर्वेक्षण हेतु चयनित रिसोर्स पर्सन द्वारा किये जाने वाले सर्वेक्षण कार्य से जैवसंसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी जो जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन एवं संवहनीय उपयोग के साथ जैवविविधता प्रबंधन समितियों हेतु उपयोगी सिद्ध होगी।

कार्यशाला में सहायक सदस्य सचिव (बायो रिसोर्स एक्सेस) द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी प्रदान की एवं म.प्र. में पाये जाने वाले जैवसंसाधनों के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया गया। बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा चयनित रिसोर्स पर्सन को मैदानी स्तर पर सर्वेक्षण हेतु विस्तार पूर्वक प्रशिक्षण प्रदाय किया गया, जिसमें सर्वेक्षण क्षेत्र अंतर्गत जैवसंसाधनों के क्रय विक्रय दर का विवरण, जैवसंसाधनों के व्यापारियों की जानकारी, जैव संसाधनों और वाणिज्यिक पहलुओं पर अवलोकन एवं जैवविविधता प्रबंधन समितियों की बैठक एवं आयोजित किये जाने वाली प्रशिक्षण कार्यशाला की विषय वस्तु के बारे में प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

जैवविविधता जागरूकता सह जैवसंसाधनों के क्रय–विक्रय दर के सर्वेक्षण हेतु आयोजित कार्यशाला

4. विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में जैवविविधता वाटिका की स्थापना

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा प्रदेश में जैवविविधता के प्रति जाकगरूकता के उद्देश्य से जिला मुख्यालय पर स्थित उत्कृष्ट विद्यालय एवं महाविद्यालयों में जैवविविधता वाटिका की स्थापना की गई है। स्थापित वाटिकाओं में से उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय रीवा एवं उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय रतलाम के द्वारा विद्यालयीन छात्र–छात्राओं में जैवविविधता के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से वाटिका की स्थापना कर जागरूकता उत्पन्न की जा रही है।

उत्कृष्ट विद्यालय रीवा एवं उत्कृष्ट विद्यालय रतलाम में स्थापित जैवविविधता वाटिकाएं

5. क्षेत्रीय वन मण्डल में जैवविविधता उद्यान निर्माण

बोर्ड द्वारा जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 07 जैवविविधता उद्यानों – नगरवन चंदनपुरा, भोपाल, हामूखेड़ी टेकरी एवं उदयन मार्ग, उज्जैन, माताटेकरी एवं जैवविविधता पार्क लोहार पिपल्या, देवास, जैवविविधता पार्क राजघाट एवं नगरवन आर.एफ.735 कनेरा देव दक्षिण, सागर में जैवविविधता उद्यान हेतु स्वीकृति प्रदान की गई।

6. मध्यप्रदेश जैवविविधता सीख एवं प्रदर्शन केन्द्र (डेमो सेन्टर)

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा जैवविविधता संरक्षण, संवर्धन, जैवविविधता से संबंधित प्रशिक्षण तथा प्रदर्शन हेतु वानिकी एवं संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण ''मध्यप्रदेश जैवविविधता सीख एवं प्रदर्शन केन्द्र'' सूरजनगर, भोपाल में किया जा रहा है। डेमो सेंटर में 65 संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण किया जा रहा है।

5.4 सुशासन

1. जैवविविधिता प्रबंधन समितियो का सक्रियकरण

जैवविविधता अधिनियम 2002 अंतर्गत लोक जैवविविधता पंजी के अद्यतनीकरण कार्य एवं जैवविविधता जागरूकता के उद्देश्य से स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों द्वारा निम्नानुसार बैठकों का आयोजन किया गया–

वर्ष 2024–25 में आयोजित जैवविविधिता प्रबंधन समितियो की बैठक

क्रमांक	स्थानीय निकाय	जैवविविधता प्रबंधन समितियों की बैठक संख्या
1	जनपद पंचायत	12
2	ग्राम पंचायत	49
3	नगर निगम	1
4	नगर पालिका	6
	कुल	**68**

2. प्रशिक्षण कार्यक्रम

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा लोक जैवविविधता पंजी के अद्यतनीकरण हेतु मास्टर ट्रेनर एवं जैवविविधता प्रबंधन समितियों का सक्रियकरण सह प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बोर्ड के मार्गदर्शन में पंजी निर्माण में कार्यरत रिसोर्स पर्सन एवं पी.आई. एवं को–पी.आई. द्वारा जैवविविधता प्रबंधन समितियों के क्षमता विकास एवं जैवविविधता संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से प्रशिक्षण सह कार्यशाला एवं बैठकों का आयोजन किया गया।

नगर पालिका – मनावर, जिला–धार

जनपद पंचायत – धारावासी, जिला बालाघाट

ग्राम पंचायत – दालौन, जिला छतरपुर

ग्राम पंचायत – कछरवार, जिला उमरिया

5.5 संवहनीय उपयोग एवं लाभों का समुचित बंटवारा

1. **जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि के वितरण की प्रकिया एवं दिशानिर्देश का अनुमोदन।**

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–23 तथा मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004'' के नियम 14(1) के प्रावधान अनुसार प्रदेश में जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों/विनिर्माताओं से प्राप्त होने वाली लाभ प्रभाजन राशि का 95% हिस्सा स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंध समितियों, (BMCs)/लाभ के दावेदारों को एवं 5% हिस्सा को प्रशासनिक व्यय (बोर्ड/वनमण्डल को) हेतु दिया जाना प्रावधानित है। इस क्रम में बोर्ड द्वारा तैयार जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि के वितरण की प्रकिया एवं दिशानिर्देश पर मध्यप्रदेश शासन, के आदेश क्रमांक–1663880/2023/10–2, दिनांक 26.07.2024 द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

2. **जैव संसाधनों और ज्ञान के वाणिज्यिक (व्यापारात्मक) उपयोग से उद्भूत लाभ का उचित और साम्यपूर्ण प्रभाजन**

जैवविविधता अधिनियम, 2002, मध्यप्रदेश जैवविविधता नियम, 2004 तथा जैविक संसाधनों

तक पहुंच और सहयुक्त जानकारी तथा फायदा बंटाना विनियम, 2014 के प्रावधान अनुसार मध्यप्रदेश के जैव संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले समस्त व्यापारी व विनिर्माताओं को अधिनियम की धारा–7 के प्रावधान अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड से अनुमति लेना अनिवार्य है। जैवविविधता अधिनियम के क्रियान्वयन की दिशा में मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा निम्नलिखित गतिविधियॉ संचालित की गई है –

1. म0प्र0 राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम–17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 38 दिनांक 21.09.2018 के अंतर्गत म. प्र. शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–आर– 1868–957– 2018–दस–2 दिनांक 12.09.2018 द्वारा समस्त क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्राधिकारिता) को पदेन संयुक्त सदस्य सचिव एवं समस्त क्षेत्रीय वन संरक्षक/ वनमण्डलाधिकारी (क्षेत्राधिकारिता) को पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड घोषित किया गया हैं।

2. म0प्र0 राज्य जैवविविधता नियम, 2004 के नियम–17 (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, मध्यप्रदेश शासन के राजपत्र क्रमांक 331 दिनांक 29.07.2019 तथा म0प्र0 शासन, वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक–आर–1637–449– 2019–दस–2 दिनांक 29.07.2019 द्वारा समस्त क्षेत्र संचालक/उपसंचालक, टाईगर रिजर्व एवं क्षेत्रीय मुख्य महाप्रबंधक/प्रभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड को पदेन संयुक्त सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं पदेन सहायक सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड प्राधिकृत किया गया है, जिससे लाभ प्रभाजन की कार्यवाही को गति प्रदान की जा सके। इस क्रम में वनमण्डलों द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में जैव संसाधनों के व्यापारियों के साथ किये गये अनुबंध एवं एकत्रित लाभ प्रभाजन राशि का विवरण निम्नानुसार हैं :–

क्र.	वृत्त	क्षेत्रीय ईकाई	वित्त वर्ष 2024–25		
			लाभ प्रभाजन का विवरण		
			प्राप्त फार्म 1 की संख्या	अनुबंध की संख्या	लाभ प्रभाजन राशि
1	2	3	4	5	6
1	**Balaghat**	South Balaghat	4	0	0
2		North Balaghat	11	7	150682
3	**Betul**	South Betul	37	29	196585
4		North Betul	8	6	415067
5		West Betul	0	6	132374
6	**Bhopal**	Bhopal	2	2	113500
7		Vidisha			
8		Sehore	10	10	43452
9		Raisen	19	11	45500
10		Obaidullahganj	1	24	159696
11		Rajgarh	0	0	0

क्र.	वृत्त	क्षेत्रीय ईकाई	वित्त वर्ष 2024–25		
			लाभ प्रभाजन का विवरण		
			प्राप्त फार्म 1 की संख्या	अनुबंध की संख्या	लाभ प्रभाजन राशि
1	2	3	4	5	6
12	**Chhatarpur**	Chhatarpur	15	3	7576
13		Tikamgarh			
14		South Panna	18	18	213598
15		North Panna	5	5	48278
16	**Chhindwara**	West Chhindwara	2	2	29250
17		East chhindwara	4	1	21000
18		South chhindwara	4	7	151670
19	**Gwalior**	Gwalior	16	6	83505
20		Datia			
21		Bhind	0	0	0
22		Morena	2	1	61500
23		Sheopur	5	0	6340
24	**Naramdapuram**	Naramdapuram			
25		Harda	2	1	7340
26	**Indore**	Jhabua	0	0	0
27		Indore	15	9	613768
28		Alirajpur			
29		Dhar	0	0	0
30	**Jabalpur**	Katni	92	51	1098927
31		Dindori	63	57	325553
32		East Mandala			
33		West mandala	99	82	114585
34		Jabalpur	36	25	78340
35	**Khandwa**	Khargone	17	17	191685
36		Barwani	0	0	90950
37		Khandwa	24	13	241450
38		Sendhwa			
39		Burhanpur			
40		Barwah	0	0	0
41	**Rewa**	Satna	26	26	273329
42		Singrauli	5	4	198890
43		Rewa			
44		Sidhi	0	0	0
45	**Sagar**	North Sagar	4	0	0
46		South Sagar	4	1	89195
47		Damoh	10	3	146825

क्र.	वृत्त	क्षेत्रीय ईकाई	वित्त वर्ष 2024–25		
			लाभ प्रभाजन का विवरण		
			प्राप्त फार्म 1 की संख्या	अनुबंध की संख्या	लाभ प्रभाजन राशि
1	2	3	4	5	6
48	**Seoni**	South Seoni			
49		North Seoni	6	3	31605
50		Narsinghpur			
51	**Shahdol**	Umaria	25	0	231305
52		South Shahdol			
53		North Shahdol			
54		Anuppur			
55	**Shivpuri**	Guna			
56		Ashoknagar			
57		Shivpuri			
58	**Ujjain**	Ratlam			
59		Ujjain	0	0	0
60		Neemuch	3	0	527019
61		Mandsaur	3	3	13478
62		Shajapur			
63		Dewas			
64	**Panna T.R.**	Panna	5	5	19250
65	**Pench T.R.**	Seoni			
66	**Kanha T.R.**	Mandla			
67	**Sanjay-Dubri T.R.**	Sidhi			
68	**Satpura T.R.**	Naramdapuram			
69	**Bandhav T.R.**	Umaria	7	4	38100
70	**VVN, Bhopal**	Vidisha-Raisen			
71		Barghat			
72		Lamta			
73		Sehore			
74	**VVN, Jabalpur**	Kundam			
75		Rewa-Sidhi	0	0	0
76		Mohgoan			
77		Umaria			
78	**VVN, Indore**	Chhindwara			
79		Khandwa			
80		Rampur-Bhatodi			
		Grand Total-	**609**	**442**	**6211167.00**

3. जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा – 56 अंतर्गत कार्यवाही

जैवविविधता अधिनियम, 2002 की धारा–56 के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरण या जैवविविधता बोर्ड के आदेशों/निर्देशों का उल्लंघन करता है तो 1 लाख रू. तक के जुर्माने से दण्डित किया जा सकता है। उक्त धारा का उपयोग करते हुए प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024–25 में 03 प्रकरण में विधि अनुसार कार्यवाही कर राशि रू. 1,35,000/– का अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया।

4. वन वृत्त अंतर्गत वनमण्डलों हेतु जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण, लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण एवं लाभ प्रभाजन हेतु प्रशिक्षण कार्यशाला।

प्रदेश के समस्त वनमंडलों में जैवविविधता प्रकोष्ठ के गठन उपरांत व्यापारियों से लाभ प्रभाजन की कार्यवाही संपादित की जा रही है। जिसके क्रम में वन वृत्तवार (क्षेत्रीय) समस्त वनमंडलों के जैवविविधता प्रकोष्ठ में लाभ प्रभाजन कार्यवाही की समीक्षा, संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों की क्षमता वृद्धि एवं लाभ प्रभाजन कार्यवाही में गति लाने और व्यवहारिक कठिनाईयों को दूर करने के साथ जैवविविधता प्रबंधन समितियों के सक्रियकरण एवं लोक जैवविविधता पंजी के निर्माण के संबंध में क्षेत्रीय ईकाइयों के अमले को प्रशिक्षित करने हेतु बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2024–25 में निम्नानुसार कार्यशालाऐं आयोजित की गईः–

क्र	वनवृत्त	क्षेत्रीय इकाई का नाम	कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों की संख्या	कार्यशला दिनांक
1.	नर्मदापुरम	1. वनवृत्त नर्मदापुरम 2. वनमंडल– नर्मदापुरम एवं हरदा 3. उपसंचालक, सतपुड़ा टाईगर रिज़र्व	96	24.07.2024
2.	बैतूल	वनवृत्त बैतूल वनमंडल – उत्तर बैतूल, दक्षिण बैतूल एवं पश्चिम बैतूल प्रभागीय प्रबंधक, वन विकास निगम रामपुर भटोदी	71	18.03.2025

वनवृत्त बैतूल वनमण्डल अंतर्गत दिनांक 18.03.2025 को आयोजित कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागी

5. जैवविविधता अधिनियम, 2002 के अंतर्गत जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि का वितरण

प्रदेश में जैवसंसाधनों तक पहुंच एवं लाभ प्रभाजन (Access and Benefit Sharing) से प्राप्त राशि के वितरण की प्रक्रिया हेतु अनुमोदित दिशानिर्देश अनुरूप जैवसंसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग करने वाले व्यापारियों/विनिर्माताओं से प्राप्त होने वाली लाभ प्रभाजन राशि का 95 प्रतिशत हिस्सा स्थानीय निकाय स्तर पर गठित जैवविविधता प्रबंधन समितियों (BMCs)/लाभ के दावेदारों एवं 5 प्रतिशत हिस्सा संबंधित वनमण्डल तथा बोर्ड कार्यालय को प्रशासनिक व्यय हेतु दिया जाना प्रावधानित है।

बोर्ड कार्यालय द्वारा दिशानिर्देश के परिपालन में क्षेत्रीय वनमण्डल – सतना, इंदौर एवं कटनी से प्राप्त जानकारी के आधार पर राज्य जैवविविधता निधि खाते में वित्तीय वर्ष 2023–24 तक प्राप्त लाभ प्रभाजन राशि में से रू. 1,12,29,358/– जैवविविधता प्रबंधन समितियों/लाभ के दावेदारों को वितरण किया गया। जिसका विवरण निम्नानुसार हैं–

क्र.	वनमण्डल	वनमण्डल अंतर्गत BMCs की संख्या	BMCs को देय राशि रू.	वनमण्डल को प्रशासनिक व्यय हेतु देय राशि रू.	बोर्ड को प्रशासनिक व्यय हेतु प्राप्त राशि रू.	कुल भुगतान की गई राशि रू.
1.	**वनमण्डल, सतना**	60	24,72,782.00	48,318.00	81,828.00	**26,02,928.00**
2.	**वनमण्डल, इंदौर**	43	37,09,678.00	71,562.00	1,23,685.00	**39,04,925.00**
3.	**वनमण्डल, कटनी**	126	44,85,429.00	1,11,717.00	1,24,359.00	**47,21,505.00**
कुल		**229**	**1,06,67,889.00**	**2,31,597.00**	**3,29,872.00**	**1,12,29,358.00**

शेष वनमण्डलों को लाभ प्रभाजन राशि वितरण किये जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।

5.6 अन्य गतिविधियाँ

1. The Nature Conservancy of India द्वारा "Scaling Riparian restoration of River Narmada" विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन 25 एवं 26 मार्च 2025 को Courtyard by Marriott, भोपाल में किया गया था। इस कार्यशाला में प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग, मध्यप्रदेश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं सदस्य सचिव, मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड, बोर्ड के तकनीकी विशेषज्ञ तथा विभिन्न विभागों, संस्थानों एवं संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला में नर्मदा नदी के Riparian क्षेत्रों के पारिस्थितिक महत्व, उनके संरक्षण, पुर्नस्थापना एवं दीर्घकालिक सुरक्षा हेतु आवश्यक नीतिगत सुधारों पर विस्तार से चर्चा की गयी। बोर्ड की ओर से जैवविविधता संरक्षण की ओर से जुड़े अनुभव योजनाएं एवं वर्तमान प्रयास साझा किये गये। साथ ही सदस्य सचिव द्वारा नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर दोनों ओर तटीय क्षेत्रों में आने वाले ग्रामों में जैवविविधता सर्वेक्षण कार्य की प्रगति एवं प्रारंभिक निष्कर्षों की जानकारी भी प्रस्तुत की गयी।

2. One Health & Agro Ecology विषय पर आधारित Indo german Project Conference का आयोजन 24 जनवरी 2025 को ऐप्को भोपाल में किया गया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य मध्यप्रदेश में Albendazole के जैवविविधता एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करने हेतु कार्य योजना तैयार करना तथा परियोजना के उद्देश्यों के क्रियान्वयन की रणनीति विकसित करना था। सम्मेलन के दौरान आयोजित तकनीकी सत्र में One Health की अवधारणा तथा परियोजना का परिचय प्रस्तुत किया। साथ ही Joint Vision, Output indicators एवं Targets पर विस्तार से विचार विमर्श हुआ। मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड के सदस्य भी उपस्थित रहे और परियोजना के भविष्य के दृष्टिकोण के संबंध में सुझाव प्रस्तुत किये।

3. मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड एवं भोपाल बर्ड्स कंजर्वेशन सोसायटी के संयुक्त तत्वाधान में जैविक खेती पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन दिनांक 16 फरवरी 2025 को मंगलम कांफ्रेस हॉल, व्ही.एन.एस. ग्रुप ऑफ इंस्टीटयूशन, नीलबंड, भोपाल में किया गया। आयोजित कार्यशाला का उद्देश्य स्थानीय किसानों की क्षमा निर्माण के माध्यम से टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना एवं प्राकृतिक संसाधनों और जैव विविधता पर रासायनिक खेती के खतरों को कम करके जैविक खेती को बढावा देना था। उक्त कार्यशाला में लगभग 100 कृषक उपस्थित थे।

6. वित्तीय प्रगति

वित्तीय वर्ष 2024–25 में बजट आवंटन / व्यय की स्थिति

वित्त वर्ष 2024–25 में वन विभाग, मध्यप्रदेश शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड को निम्नानुसार बजट शीर्ष (मदवार) अंतर्गत बजट अनुदान उपलब्ध कराया गयाः–

(राशि लाख रू. में)

क्र.	बजट शीर्ष (मद)	प्राप्त राशि
1.	7672 – जैवविविधता एवं जैवप्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित परियोजना का पोषण।	48.00
2.	7876 – जैवविविधता बोर्ड संबंधी व्यय	429.00
	योग	**477.00**

उपरोक्त बजट अनुदान अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024–25 में निम्नानुसार व्यय किया गया हैः–

(राशि लाख रू. में)

क्र.	मद	व्यय राशि
1	**7672 – Assitance of Project related to biodiversity**	
	I. Activity implementation	
	1.1. Research & Documentation	48.00
	1.2. People's Biodiversity Registers (PBR)	00.00
	Sub-Total	**48.00**
2	**7856 – Expenditure pertaining to Biodiversity Board**	
	I. Activity implementation	
	2.1. In-situ/ex-situ conservation	195.62
	2.2. Education, Awareness and Training	55.56
	2.3. Sustainable use and equitable benefit sharing	3.87
	2.4. Governance	0.00
	2.5 Policy and law	0.22
	II. Establishment :	
	1. Salaries/Allowance	140.59
	2. Operations & Maintenance	44.95
	3. Procurement of Equipments	0.00
	4. Vehicle (maintenance and POL)	5.03
	5. Miscellaneous and Contingency	3.48
	Sub-Total	**449.32**
	GRAND TOTAL	**497.32**

नोटः– बोर्ड को वित्त वर्ष में राशि रूपये 477.00 लाख का बजट अनुदान प्राप्त हुआ। जिसके विरूद्ध राशि रूपये 497.32 लाख का व्यय किया गया। अधिक राशि रूपये 20.32 लाख बोर्ड को पूर्व वर्षों में प्राप्त बजट अनुदान की राशि से व्यय की गयी।

: 0755 - 4258537
: +91 9826677887
: chandwani@icai.org

CHANDWANI & COMPANY
Chartered Accountants

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To,
The Members,
M.P. STATE BIODIVERSITY BOARD,
VAN BHAWAN,
BHOPAL
MADHYA PRADESH

Report on the audit of Financial Statements for the Financial Year 2024-25

We have audited the accompanying financial statements of **M.P. State Biodiversity Board, Bhopal,** which comprise the Balance Sheet as on 31/03/2025 and Statement of Income and Expenditure Account for the year ended March 31, 2025.

Responsibilities of Management and Those charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with the accounting principles generally accepted in India including Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the entity's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the entity or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the entity's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the audit of the Financial Statements

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Standards of Auditing issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Those Standards require that we comply with ethical requirements and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements.

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

: G-19, Sanchi Complex, Ground Floor,Opp. Board Office, Shivaji Nagar, Bhopal - 462016

Opinion

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, except the matter referred separately in our basis for opinion section, the accompanying financial statements give a true and fair except mention on basis of opinion view of the financial position of the entity as at March 31, 2025, and of its Surplus for the year then ended in accordance with the Accounting Standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI).

Report on Other Legal and Regulatory Requirements:

1. We have obtained all the information and the explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit.
2. In our opinion, proper books of Account as required by law have been kept by the Organization, so far as appears from our examination of those books
3. The Balance Sheet and Income and Expenditure Account referred to in this report are in agreement with the books of account.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those standards as described in the Auditor's Responsibilities section of our report. We are independent of the entity in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Non-Compliance with TDS Provisions:
During the course of the audit, it was observed that certain payments made during the year were subject to Tax Deduction at Source (TDS) under the provisions of the Income Tax Act, 1961. However, TDS was not deducted on such payments. As a result, the said amounts were disallowed under section 40(a)(ia) and accordingly added back to the total income while computing the taxable income in the Income Tax Return of the entity for the relevant assessment year. The management has been advised to ensure strict compliance with TDS provisions in future to avoid disallowance and penal consequences.

TDS was not deducted on the following payments:

- Rent
- Office Expenses
- Printing and Stationery
- Payment to Government (IISER Govt.)

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide separate opinion on these matters. In addition, the matter described in the Basis for Opinion section we have determined no other matters to be the key audit matters to be communicated in our report.

Audit Observation

The observations found during the audit were primarily due to incorrect attachments with vouchers or misclassification of accounting heads, which have since been rectified by the management. However, it was also noted that **TDS was not deducted on some of the above transactions**, where it was otherwise applicable under the provisions of the Income Tax Act, 1961.

Outstanding Liabilities Carried Forward:

The following current liabilities have been carried forward from the previous year and remain unsettled as of the reporting date. These amounts continue to be reflected in the Balance Sheet due to the absence of any information or evidence regarding their payment or adjustment during the current financial year.

S.NO.	PARTICULAR	AMOUNT
1	CPF	36683.00
2	NPS Contribution	19839.00
3	Professional tax	3536.00
4	Tds Payable	48664.00

Other Matters

The followings are other matters which in our opinion should be reported:

1. We have not physically verified the work done by the Board and the various assets and liabilities owned by or owed to the Board.
2. We have been informed that management has verified the cash balance and other assets of the Board.
3. Various Current Assets and Current Liabilities are subject to confirmation and reconciliation.

FOR CHANDWANI AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

CHANDWANI & CO. BHOPAL CHARTERED ACCOUNTANTS

(CA. AMIT MOHANLAL CHANDWANI)
Proprietor
M.NO.421266
UDIN NO: 25421266BMGYGJ7578
Place : Bhopal
Date : 04.06.2025

MADHYA PRADESH STATE BIO DIVERSITY BOARD
BALANCE SHEET AS AT 31.03.2025

LIABILITIES	SCH	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024	ASSETS	SCH	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
FUND	1	136,321,419	126,875,981	FIXED ASSETS	2	1,902,725	746,739
CURRENT LIABILITIES	7	32,927,101	28,360,051	LOANS & ADVANCES	3	0	5,000
(MP State Minor Forest Produce T&D)				CURRENT ASSETS	4	167,345,795	154,484,292
TOTAL (Rs.)		**169,248,520**	**155,236,031**	**TOTAL (Rs.)**		**169,248,520**	**155,236,031**

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2025

EXPENDITURE	SCH	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024	INCOME	SCH	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
ABS EXPENSES		190,784	13,398,871	GRANT IN AID FROM MP GOVT., FOREST DEPTT.		47,700,000	48,000,000
OPERATION AND MAINTENANCE EXP	6	5,455,744	4,146,533	NBA OUTSOURCE FUND RECEIVED		965,532	1,342,058
ESTABUSHMENT EXPENSES	5	14,406,960	17,482,929	ABS RECEIPTS FROM USERS		739,000	14,709,077
DEMO CENTRE EXPENSES		1,157,421	479,501	GRANT RECEIVED FOR NBA INSPECTION		0	19,856
EDUCATION AWARENESS AND TRAINING		5,162,355	2,878,617	INTEREST RECEIVED FROM IDBI AND SBI BANK		7,658	15,098
GIM PBR EXPENSES		1,581,077		OTHER INCOME		11,970	44,800
NBA ABS PLOUGH BACK		0	1,048,000	INTEREST RECEIVED FROM SWIP A/C		6,481,755	7,716,448
EGOVERNANCE IN -SITU CONSERVATION		19,329,041	15,034,573	INTEREST RECEIVED FROM FD		5,198,707	2,514,561
NBA PBR		0	190,000	INTEREST RECEIVED FROM REFUND		0	5,761
POLICY & LAW		22,000	79,324	GIM PBR GRANT		1,400,000	
SALARY NBA OUTSOURCE		692,812	88,502				
LOSS BY FIRE		0	698,122				
RESEARCH AND DOCUMENTATION		4,673,866	4,908,000				
SUSTAINABE USE AND EQUITABLE BENEFIT		387,124	928,696				
SURPLUS TRANSFERRED TO FUND		**9,445,438**	**13,005,990**				
TOTAL (Rs.)		**62,504,622**	**74,367,659**	**TOTAL (Rs.)**		**62,504,622**	**74,367,659**

Schedule 8 - Significant Accounting Policies & Notes on Accounts

As per our report of even date annexed.
CHANDWANI AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

CA AMIT MOHANLAL CHANDWANI
Proprietor
M.NO.421266

For MADHYA PRADESH STATE BIO DIVERSITY BOARD

AMS (F&A) **MEMBER SECRETARY**

BHOPAL
Dated : 04.06.2025

SCHEDULES FORMING & PART OF ACCOUNTS

PARTICULARS	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
SCHEDULE 1-FUND		
Opening Balance	126,875,981	113,869,991
Add/Less: Surplus/Deficit during the year	9,445,438	13,005,990
TOTAL (Rs.)	**136,321,419**	**126,875,981**
SCHEDULE 3 - LOANS AND ADVANCES		
ADVANCE FOR EXPENSES		
Opening Balance	5,000	2,699
Add: Paid/Recovered/Adjusted during the year	0	2,301
Less: Recovered during the year	-5,000	0
TOTAL (Rs.)	**0**	**5,000**
SCHEDULE 4 - CURRENT ASSETS		
Cash-in-Hand	3,784	6,097
Cash at bank	128,731,905	123,473,651
Trade Receivable	1,786,994	1,786,994
Deposit (FDR AT SBI)	34,491,833	28,194,449
TDS RECEIVABLE (2023-24)	1,023,101	1,023,101
TDS RECEIVABLE (2024-25)	1,308,178	0
TOTAL (Rs.)	**167,345,795**	**154,484,292**
SCHEDULE 5 - ESTABLISHMENT EXPENSES		
Medical Expenses	218,389	191,416
Orderly Allowance		428,100
Salary	14,059,307	16,031,991
TA & Local Conveyance Expenses	129,264	831,422
TOTAL (Rs.)	**14,406,960**	**17,482,929**
SCHEDULE 6 - OPERATION & MAINTENANCE EXPENSES		
Audit Fees	75,225	75,225
Depreciation	410,136	146,349
Electricity Charges	196,215	17,496
Repairs & Maintenance - Vehicle	19,044	60,626
Office Expenditure	629,439	1,308,003
Office Rent	2,063,064	1,249,295
POL & Vehicle Running Expenses	484,654	565,149
Postage & Courier Expenses	58,541	46,000
Printing & Stationery	549,044	521,339
Operation and Maintance- Office Expenses	837,607	0
Telephone Expenses	132,775	157,051
TOTAL (Rs.)	**5,455,744**	**4,146,533**

SCHEDULES FORMING & PART OF ACCOUNTS

PARTICULARS	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
SCHEDULE 7 - CURRENT LIABILITIES		
Professional Tax	3,536	3,536
CPF	35,683	36,683
GIS	1,800	1,800
NPS deduction & Contribution payable	19,839	19,839
TDS Payable	0	363
NBA FOR IBD PROGRAMME 2024	25,295	
NPS	8,179	8,179
NIDHI TRAVEL AGENCY	9,925	
Arrear Recovery	33,311	33,311
ABS Fees & Expenses Payable	31,783,595	27,250,402
NBA Grant received for CAP. Assets	957,274	957,274
TDS PAYABLE (2021-22)	48,664	48,664
TOTAL (Rs.)	**32,927,101**	**28,360,051**

As per our report of even date annexed.
CHANDWANI AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

For MADHYA PRADESH STATE BIO DIVERSITY BOARD

AMS (F&A) **MEMBER SECRETARY**

CA AMIT MOHANLAL CHANDWANI
Proprietor
M.NO.421266

BHOPAL
DATED : 04.06.2025

	SCHEDULE 2:	FIXED ASSETS									
SR. No.	BLOCK OF FIXED ASSETS	RATE OF DEP (In %)	GROSS BLOCK (AT COST)				DEPRECIATION				NET BLOCK	
			AS AT 01.04.2024	ADDITIONS DURING THE YEAR	DED. DURING THE YEAR	AS AT 31.03.2025	UPTO 31.03.2024	PROVIDED DURING THE YEAR	DED. DURING THE YEAR	UPTO 31.03.2025	AS AT 31.03.2025	AS AT 31.03.2024
1	Computers & Laptops	40	339,782	294,528	0	634,310	0	253,724	0	253,724	380,586	339,782
2	Plant & Machinery	15	109,148	0	0	109,148	0	16,372	0	16,372	92,776	109,148
3	Vehicles	15	297,809	1,271,594	0	1,569,403	0	140,040	0	140,040	1,429,363	297,809
Total			746,739	1,566,122	0	2,312,861	0	410,136	0	410,136	1,902,725	746,739

Note: Depreciation provided during the year has been rounded off to the nearest Rupee.

Block of Fixed Assets has been rearranged and regrouped during the year.

For MADHYA PRADESH STATE BIO DIVERSITY BOARD

AMS (F&A) **MEMBER SECRETARY**

BHOPAL
DATED:04.06.2025

As per our report of even date annexed.
CHANDWANI AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

CA AMIT MOHANLAL CHANDWANI
Proprietor
M.NO.421266

CHANDWANI & CO. CHARTERED ACCOUNTANT BHOPAL

दैनिक भास्कर मुरैना 07-06-2024

विश्व पर्यावरण सप्ताह सम्पन्न

मनाया जैव विविधता दिवस

जबलपुर(शहर) वन अनुसंधान संस्थान में राज्य जैव विविधता बोर्ड मध्य प्रदेश के सहयोग से अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया। इसमें नेचर वॉक के साथ विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के संचालक प्रतीक वासुदेवा, उप संचालक रविन्द्र मणि त्रिपाठी, जबलपुर वन मंडलाधिकारी ऋषि मिश्रा, डॉ. उदय होमकर, एकनाथ रघुवंशी, मिथलेश पारी नेचा के अध्यक्ष डॉ. प्रदीप कुमार, संजय पाटोले, विजय यादव एवं जैव विविधता बोर्ड भोपाल से शिवानी शर्मा, विवेक पटेल एवं शुभम सिंह उपस्थित रहे।

पत्रिका

प्रतिभागियों ने पर्यावरण संरक्षण व इसके विकास को समझा

जैव विविधता को समर्पित किया बेटी का जन्म दिन

विश्व पर्यावरण सप्ताह सम्पन्न

पर्यावरण सप्ताह का समापन समारोह दिनांक 12 जून 2024 को

विश्व पर्यावरण दिवस उल्लास के साथ संपन्न

बेटी का जन्म दिन जैव विविधता को समर्पित किया

जंगल का राजा टाइगर देख रोमांचित हुए मोगली मित्र

पत्रिका plus

अनुसंधान केंद्र में नेचर वॉक, जुटाए जैव विविधता के डेटा

राज्य स्तरीय तीन दिवसीय मोगली बाल उत्सव में विद्यार्थियों ने किया भ्रमण

मोगली महोत्सव सिवनी में कु.चेतना और सोनू को मिला प्रथम स्थान

मोगली लैंड में बिताए तीन दिन रहेंगे हमेशा याद

हरिभूमि

प्रतिभागी छात्रों ने कहा, पेंच टाइगर रिजर्व सिवनी की तीन दिवस की यात्रा पूरे जीवन रहेगी याद

मोगली बाल उत्सव में शामिल हुए सीएम राइज स्कूल के मोहित

मध्यप्रदेश राज्य जैवविविधता बोर्ड

ई-ब्लाक, ग्राउंड फ्लोर, वन भवन, तुलसी नगर, भोपाल (मध्यप्रदेश) 462003
ई-मेल – mpsbb@mp.gov.in वेब साइट-https://mpforest.gov.in/mpsbb/